संख्या–100 / VI(1)/ 2017 [illegible]

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2017

पर्यटन अनुभाग:

विषय:– वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, मुख्यालय के पत्र संख्या–407/2–3–43/2016–17, दिनांक 12 जनवरी, 2017 तथा पत्र संख्या–457/2–3–43/2016–17, दिनांक 3 मार्च, 2017 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान के माध्यम से **18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग संस्थान, अधिष्ठान हेतु** आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि निम्न विवरणानुसार स्तम्भ–02 में उल्लिखित मानक मदों में लेखाशीर्षकवार कुल ₹ 9.00 लाख **(₹ नौ लाख मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक/मानक मद	
	अनुदान संख्या–26, लेखाशीर्षक–3452–पर्यटन–80–सामान्य–104–संवर्धन तथा प्रचार–18–राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं **कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान–00**	
1	2	3
1	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.50
2	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	4.50
	योग :–	**9.00**

2– वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– यहा यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

...2

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर में उपरिउल्लिखित तालिका के स्तम्भ–02 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–1186/XXVII(2)/2017, दिनांक 22 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

6– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी– S1703260464 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः– 180 /VI(1)/2017–02(34)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।
6– वित्त अनुभाग–2. उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव।